न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–4,जयपुर जिला, जयपुर।
वाद संख्या 02/18
भगवती प्रसाद व अन्य बनाम शिलामाता टैम्पल ट्रस्ट
एनसीवी नंबर 02/18

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
14.12.2020	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थीगण लक्ष्मीनारायण वगैरह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. दिनांकित 03.01.2020 पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि प्रकरण में वादी संख्या 8 देवीसहाय शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा का देहवासान मुकाम जयपुर में दिनांक 13.11.2029 को हो गया है। श्री देवीसहाय के बड़े पुत्र ज्वाला प्रसाद शर्मा का देहावसान पूर्व में ही दिनांक 13.02.2019 को हो चुका है। इस प्रकार देवीसहाय के देहावसान के पश्चात् उनके कायम मुकामान में उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा, सीताराम शर्मा, तथा पौत्र कमल पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद शर्मा, गिर्राज प्रसाद पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद शर्मा, नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, निवासीगण गांव गोपालगढ़ पोस्ट बांध, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर है, जिन्हें देवीसहाय शर्मा के स्थान पर सेवा पूजा का अधिकार प्राप्त होने के कारण राईट टू शू सर्वाइव होता है। अतः वादी संख्या 8 देवीसहाय शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा के आगे मृतक दौराने दावा इबारत जोडी जावे तथा उसके आगे 8/1 लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री देवीसहाय शर्मा उम्र 58साल, 8/2 सीताराम शर्मा पुत्र स्व0श्री देवीसहाय शर्मा उम्र 51 साल, 8/3 कमल पुत्र स्व. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा उम्र 44 साल, 8/4 गिर्राज प्रसाद पुत्र स्व0 श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा उम्र 41साल, 8/5 नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, उम्र 35 साल, निवासीगण गांव गोपालगढ़, पोस्ट रामगढ़ बांध, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर जोड़ी जाने व दावे की मद संख्या 21–क के आगे 21–ख में प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार इबारत देवीसहाय शर्मा के देहावसान के बाद उनके कायममुकामान होने व जिन्हें देवीसहाय शर्मा के स्थान पर सेवापूजा का	

अधिकार प्राप्त होने से राईट टू शू सवाईव होता है, इबारत जोड़ी जाकर प्रार्थनापत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार संशोधन की इजाजत दी जाकर संशोधित वाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अनुसार वादी संख्या 8 देवीसहाय शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा का देहवासान मुकाम जयपुर में दिनांक 13.11.2019 को हो गया है। श्री देवीसहाय के बड़े पुत्र ज्वाला प्रसाद शर्मा का देहावसान पूर्व में ही दिनांक 13.02.2019 को हो चुका है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी संख्या 8 देवीसहाय शर्मा का देहावसान हो जाने के कारण उनके वारिशान ने वाद पत्र में अंकितानुसार वादी संख्या 8 देवीसहाय शर्मा के नाम के आगे मृतक दौराने दावा इबरात जोडी जाने व देवीसहाय के देहावसान के पश्चात् उनके कायम मुकामान में उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा, सीताराम शर्मा, तथा पौत्र कमल पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद शर्मा, गिर्राज प्रसाद पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद शर्मा, नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, निवासीगण गांव गोपालगढ़ पोस्ट बांध, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर है, जिन्हें देवीसहाय शर्मा के स्थान पर सेवा पूजा का अधिकार प्राप्त होने के कारण राईट टू शू सर्वाइव होने से वादी संख्या 8 देवीसहाय शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा के आगे मृतक दौराने दावा इबारत जोडी जाकर उसके आगे 8/1 लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री देवीसहाय शर्मा उम्र 58साल,8/2 सीताराम शर्मा पुत्र स्व0श्री देवीसहाय शर्मा उम्र 51 साल,8/3 कमल पुत्र स्व. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा उम्र 44 साल,8/4 गिर्राज प्रसाद पुत्र स्व0 श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा उम्र 41साल, 8/5 नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, उम्र 35 साल, निवासीगण गांव गोपालगढ़, पोस्ट रामगढ़ बांध, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर जोड़ी जाने व दावे की मद संख्या 21–क के आगे 21–ख में

	प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार इबारत देवीसहाय शर्मा के देहावसान के बाद उनके कायममुकामान होने व जिन्हें देवीसहाय शर्मा के स्थान पर सेवापूजा का अधिकार प्राप्त होने से राईट टू शू सवाईव होता है, इबारत जोड़ी जाकर प्रार्थनापत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार संशोधन की इजाजत दी जाती है। इस संबंध में संशोधित वाद प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वाद/वाद शीर्षक दिनांक ..... को पेश हो। (योगेश जोशी) अपर जिला न्यायाधीश क्रम–4, जयपुर जिला, जयपुर।	